न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेन्द्र कुमार RAS

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट. व धारा 131, 136 एल.आर.एक्ट

अनुवान अमीलाल बनाम बृजु व अन्य

वाद पत्र संख्या 215 वर्ष 2024

निर्णय दिनांक : — 31.01.2025

अमीलाल पुत्र आशाराम जाति जाट निवासी सारायण तहसील तारानगर जिला चूरू।

— वादी —

बनाम

1. बृजु पुत्री गोपीराम जाति कुम्हार निवासी भालेरी तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. अशोक कुमार पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी भालेरी तहसील तारानगर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

— प्रतिवादी —

वादी द्वारा प्रस्तुत इस वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी कृषि भूमि रोही भालेरी तहसील तारानगर के खसरा संख्या 1262/912 तादादी 0.5058 हैक्ट. का खातेदार काश्तकार है। वादी ने 03 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 01 से जरिये बैनामा दिनांक 28.05.2012 खरीद की थी। उसके बाद इस खरीद की गई भूमि में से 01 बीघा भूमि जरिये बैनामा दिनांक 07.08.2012 प्रतिवादी सं. 02 को विक्रय कर दिया। वादी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा स. 1262/912 व प्रतिवादी सं 02 की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं. 1263/912 की पश्चिम सींव भालेरी से चूरू सड़क के एकदम चिपते हुई है परन्तु उक्त खसरा सं. 1262/912, 1263/912 का राजस्व रिकार्ड नक्शा सहवन से गलत दर्ज हो गया। वास्तव में उक्त खसरा सं. 1262/912 4 1263/912 की पश्चिम सींव अनेक्चर क में दर्शाये अनुसार सडक भालेरी से चूरू से एकदम चिपते हुए स्थित है। जो अनेक्चर "क" में A B C D मार्क से दर्शाया गया है जिसको राजस्व रिकार्ड नक्शा में दुरूस्त किया जाना हर प्रकार से न्यायोचित व विधि सम्मत है। उक्त खरारा स. 1262/912 व 1263/912 को राजस्व रिकार्ड नक्शा में सही अंकन दर्ज करवाने हेतु यह दावा वादी की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीगण द्वारा दिनांक 20.07.2024 को के.सी.सी. लोन लेने बाबत उक्त कृषि भूमि का नक्शा निकलवाने पर वादी को नक्शा में खसरा सं. 1262/912 व 1263/912 गलत दर्ज होने की जानकारी प्राप्त हुई तो उन्होंने तहसीलदार साहब के यहां प्रार्थना पत्र लगाया तो उन्होंने वादी को न्यायालय हाजा के यहां कार्यवाही करने बाबत कहा। जिस कारण

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

वादी को वाद कारण व वादाधार हासिल है। विवादित कृषि भूमि की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है इसलिए उसके प्रतिनिधि तहसीलदार तारानगर को प्रतिवादी बनाया है।

इस प्रकार वादी ने वाद पेश कर विवादित भूमि के खसरा सं. 1262/912 व 1263/912 रोही ग्राम भालेरी का राजस्व मानचित्र दुरूस्त करने का अनुतोष चाहा। वाद पत्र दर्ज होने पर इसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रकार नक्शा दुरूस्ती का होने से तहसीलदार तारानगर से मौका व स्थिती की वस्तुस्थिती रिपोर्ट मंगवाई गई।

प्रतिवादी संख्या 01 का वकालातनामा अधिवक्ता श्री अशोक सिंहाग ने तथा प्रतिवादी संख्या 02 का वकालातनामा श्री छतीस कुमार सांसी ने पेश किया जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 तहसीलदार तारानगर की ओर से राजपैरोकार उपस्थित आयें।

तहसीलदार तारानगर ने जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 02 ने जवाब इकबाल दावा पेश किया। जिन्हे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 को बार-बार समय व अवसर दिया जाने पर भी जवाबदावा पेश नहीं किया गया। अतः दिनांक 27.01.2025 को इसका जवाबदावा बन्द किया गया। राजपैरोकार ने प्रकरण में राज्यहित नहीं होना जाहिर किया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 सीपीसी का पेश किया। जो वाद सुनवाई स्वीकार किया गया तथा दावा में संशोधन किया गया।

चूंकि प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। इसलिए तनकी कायम नहीं की गई। वकील वादी ने साक्ष्य वादी नहीं कराये तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर दावा निर्णित करने का निवेदन किया। पत्रावली में बहस हेतू तारीख पेशी 31.01.2025 मुकर्र की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में वाद के तथ्यों को दौहराते हुये तर्क दिया कि 03 बीघा भूमि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 से क्रय की थी। इसके पश्चिम से सड़क भालेरी चूरू है। सड़क से चिपती खरीदी थी। विक्रय पत्र में पश्चिम तरफ सड़क पूर्व भालेरी अंकित है। बैनामा के आसा-पासा के अनुसार नक्शा तरमीम होना था। तरमीम गलत कर दी। नक्शा गलत बन गया। फर्द मौका गिरदारवर हल्का दिनांक 07.01.2025 से दावा की पुष्टी होती है। संशोधित संलग्न अनेश्चर ए में मार्क A B C D के अनुसार तरमीम दुरूस्त की जावें व दावा डिक्री की जायें। वकील प्रतिवादी संख्या 02 ने वकील वादी की बहस का समर्थन किया। प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता ने बहस में भाग नहीं लिया।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रिकॉर्ड व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। संलग्न फोटोप्रति

Rajendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

नामा दिनांक 25.08.2012 से वादी द्वारा मूल खसरा नं. 342 रोही भालेरी की 03—00 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 बृजु से खरीद करना जाहिर है। विक्रय पत्र में दर्ज आसा—पासा के अनुसार भूमि भालेरी—चूरू सडक पर खरीद करना प्रमाणित है। आसा—पासा मे पश्चिम तरफ उक्त सडक चूरू—भालेरी होना अंकित किया है। उक्त खसरा नं. 342 खण्डित होकर खसरा नं. 1262/912 बना है। तहसीलदार तारानगर द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका गिरदावर दिनांक 07.01.2025 में विक्रय पत्र में अंकित आसा—पासा तथा वर्तमान मौका व कब्जा का मिलान होना अंकित कर फर्द मौका में अंकित अनेक्शचर B के अनुसार नक्शा दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। दावा का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ है। इस प्रकार वाद वादी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता है।

—: आदेश :—

अतः वादी वादी डिक्री किया जाकर विवादित कृषि भूमि रोही ग्राम भालेरी के खसरा नं 1262/912 के वर्तमान नक्शा को Delete कर इसे तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका गिरदावर हल्का दिनांक 07.01.2025 के अनेक्शचर B के अनुसार दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत उक्त फर्द मौका निर्णय व डिक्री का भाग रहेगे। खर्चा पक्षकार अपना—अपना वहन करेगें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार RAS)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू